दिनांक 25.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 38/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गोमतीनगर

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 24.10.2024 को थाना गोमतीनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फन माल के पीछे जंगल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मो0 अकरम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना गोमतीनगर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर पर 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 अकरम निवासी जाफरगंज नियावां थाना कमरौली जनपद अमेठी।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना रोजा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 10 हजार रूपये बरामद**

दिनॉकः25.10.2024 को थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाण्डा प्लाई ओवर के नीचे से पुरस्कार घोषित अभियुक्त साजन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 10 हजार रूपये बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रोजा पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रोजा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी अभियुक्त

1—साजन निवासी मोहल्ला आदर्श नगर कालोनी गली नं0—17 थाना रोजा जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

1—चोरी के 10 हजार रूपये नगद।

जनपद ललितपुर/थाना जखौरा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 25.10.2024 को थाना जखौरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेन्ज चौकी के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनोहर उर्फ मनोज उर्फ मनो को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना जखौरा पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद ललिपुर के थाना जखौरा पर एनडीपीएस, गुण्डा एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जखौरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मनोहर उर्फ मनोज उर्फ मनो निवासी खसुअन मोहल्ला, घिसौली थाना जखौरा जनपद ललितपुर।

जनपद कानपुर देहात/थाना शिवली

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 25.10.2024 को थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मैथा नहर पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रत्नेश कुमार उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शिवली पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शिवली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रत्नेश कुमार उर्फ छोटू निवासी जुगराजपुर बिठूर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

कमिश्नरेट आगरा/थाना खंदौली

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये सोने के आभूषण**
- **नगद रूपये, 05 मोबाइल फोन**
- **05 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद**

दिनांक 25.10.2024 को थाना खंदौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मूलपुर के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शारूख 2–सलमान 3–शाहिद 4–चमन 5–लाल मोहम्मद घायल/गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गये सोने के आभूषण, नगद रूपये, 05 मोबाइल फोन, 05 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.10.2024 को थाना खंदौली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खंदौली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना खंदौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—शारूख निवासी अलैपुर थाना चन्दपा जनपद हाथरस।

2—सलमान निवासी अलैपुर थाना चन्दपा जनपद हाथरस।

3—शाहिद निवासी अलैपुर थाना चन्दपा जनपद हाथरस।

4—चमन निवासी अलैपुर थाना चन्दपा जनपद हाथरस।

5—लाल मोहम्मद निवासी अलैपुर थाना चन्दपा जनपद हाथरस, वर्तमान पता कस्बा जलपुरा थाना ईको टेक थर्ड कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—लूटे गये सोने के आभूषण।

2—नगद रूपये, 05 मोबाइल फोन।

3—05 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि।

<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना बंडा</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 25.10.2024 को थाना बंडा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम खण्डपारी तिराहा के पास से अभियुक्त विपिन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बंडा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—विपिन निवासी कानून गोयान थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—01 किलोग्राम अवैध अफीम।

जनपद बरेली/थाना मीरगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **900 ग्राम अवैध अफीम**
- **नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 24/25.10.2024 को थाना मीरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ओवर ब्रिज के पार मछली तालाब के पास से अभियुक्त 1–पुष्पेन्द्र 2–धर्मेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 900 ग्राम अवैध अफीम, नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मीरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पुष्पेन्द्र निवासी ग्राम व थाना गढिया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर।

2–धर्मेन्द्र कुमार निवासी पुरानी पुलिस लाइन के पास थाना कोतवाली जनपद बरेली।

बरामदगी

1–900 ग्राम अवैध अफीम।

2–नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन आदि।

- **जनपद मऊ (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 39 लाख 20 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद मऊ पुलिस ने अभियुक्त कलीम उर्फ हीरा पुत्र स्व0 ताज मोहम्मद उर्फ ताजी अहमद उर्फ मुख्तार अहमद निवासी अलाउद्दीनपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ द्वारा अपने परिवारीजनों के नाम पर अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 39 लाख 20 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद जालौन/थाना कुठौन्द (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 05 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कुठौन्द पर पंजीकृत अभियोग में धारा 65(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त लल्लन को आजीवन कारावास व 05 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बिजनौर/थाना नहटौर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बिजनौर द्वारा थाना नहटौर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 396 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त काले उर्फ शाह आलम को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हरदोई/थाना टडियावां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना टडियावां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जन्डेल को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद ललितपुर/थाना जाखलौन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद ललितपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद ललितपुर द्वारा थाना जाखलौन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत

अभियुक्त अनिल कुमार को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद इटावा/थाना वैदपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना वैदपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गुड्डू उर्फ सुबोध कुमार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना को0देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 28 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना को0देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दिलीप उर्फ अजय को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 28 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना मछलीशहर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को 07–07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 42–42 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना मछलीशहर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/149/147/325/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मंगरू 2–ओमप्रकाश 3–अभियुक्ता को 07–07 वर्ष के कठोर कारावास व 42–42 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद संतकबीरनगर/थाना महुली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 67 आईटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अमित उर्फ संदीप को 07 वर्ष के कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद संतकबीरनगर/थाना को0खलीलाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 05–05 वर्ष के कारावास की सजा व प्रत्येक को 05 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना को0खलीलाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304(2)/34/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–महेन्द्र 2–मदन 3–रामफेर को 05–05 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 05 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद श्रावस्ती/थाना गिलौला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास की सजा व 09 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना गिलौला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त बड़ेलाल को 05 वर्ष के कारावास व 09 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————